कार्यालय निदेशक, माध्यमिक राजस्थान, बीकानेर

–::कार्यालय आदेश::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/सी–3/भौगकृ/अपील–674/2022 दिनांक–04.08.2022 द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर मे दायर सिविल अपील संख्या–674/2022 गोरधनदास मीणा बनाम सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक–04.03.2022 की पालना में श्री गोरधनदास मीणा व्याख्याता–भौतिक विज्ञान का समायोजन राउमावि फरसेवाला, बारानी, श्रीगंगानगर से राउमावि नीमूचाना ब्लॉक बांसूर, जिला अलवर में किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री गोरधन दास मीणा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर में सिविल अपील संख्या–430/2022 श्री गोरधन दासमीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक–29.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एव प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एव सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक–27.10.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें माता–पिता की वृद्धावस्था एवं बच्चों की देखभाल व अन्य आधारों पर स्थानान्तरण निरस्त करने की मांग की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन पर गहन विचार–विमर्श व राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों /नियमों/परिपत्रों के संदर्भ में अवलोकन किया गया। अभ्यावेदन में प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने के आधार पर स्थानान्तरण एक ही स्थान पर किये जाने की मांग की गई । प्रार्थी को विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त स्थानान्तरण नीति का साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाने पर प्रार्थी ऐसी नीति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में माननीय अपील अधिकरण में झूठा कथन प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में माता–पिता की वृद्धावस्था एवं संतानों की देखभाल के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने की मांग की गई, राज्य सरकार के स्थानान्तरण संबंधी दिशा–निर्देश क्रमांक– प. 17(30) शिक्षा–2/2021 दिनांक 14.07.2022 के अनुसार माता–पिता की वृद्धावस्था व संतानों की देखभाल के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है साथ ही पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी राज्य सेवा का राजपत्रित अधिकारी का पद धारित करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991एस.सी.532) प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

निहित अधिकारी नही है। किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहाँ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्यबनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 एवं अनुच्छेद-226 में लोकसेवक के स्थानान्तरण/ पदस्थापन की शक्तियाँ पूर्णतया नियोजक के अधीन है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य मे कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नही होता है। उक्त अनुसार अपीलार्थी श्री गोरधनदास मीणा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है की वे तत्काल अपने समायोजित स्थान राउमावि नीमूचाना ब्लॉक बांसूर, जिला अलवर मे व्याख्याता-भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर कार्यग्रहण कर पालना से अवगत करावें। उक्त समायोजन पर इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/सी-3/भौगकृ/अपील संख्या 430/2022 दिनांक- 21.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार,जयपुर।
02.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
03.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05.संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
06.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
07.संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
08.जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
09.सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11.संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते